राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रा0 पत्र संख्या – 105/2022

महावीर प्रसाद तोगड़िया पुत्र स्व. मातादीन तोगड़िया उम्र 64 वर्ष जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 1 निजामपुर मोड़, वायु सैनिक स्कूल के पास, राजोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र– रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: **दिनांक 02–09–2022**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वाके ग्राम रोजड़ा तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या नया 134 खसरा नंबर 336 रकबा 0.44 है. भूमि में प्रार्थी का पिता हिस्स सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के पिता का नाम "मातादीन पुत्र भानाराम" के स्थान पर "मातुराम पुत्र प्रभाताराम" दर्ज हो गया तथा जाति "मेघवाल" के स्थान पर "गुर्जर" दर्ज हो गई जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक सही नाम "मातादीन पुत्र भानाराम" है तथा जाति "मेघवाल" है जो प्रार्थी व उसके पिता के समस्त दस्तावेज व अन्य रिकार्ड में भी दर्ज है। प्रार्थी के राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र तथा प्रार्थी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के पिता का नाम मातादीन पुत्र भनाराम ही दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में ही प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज है। प्रार्थी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान कार्ड बनवाने में परेशानी होती है व प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी को नाम दुरूस्त बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के खण्ड नंबर 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम "मातुराम पुत्र प्रभाताराम" के स्थान पर "मातादीन पुत्र भानाराम" तथा जाति "गुर्जर" के स्थान पर "मेघवाल" राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में राजस्व रिकार्ड की जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने जाचं रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम रोजड़ा जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं. 134 में मातुराम पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर दर्ज है, के स्थान पर मातादीन पुत्र भानाराम जाति मेघवाल शुद्ध किया जाना न्याय संगत है। इसके बाद पुनः तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1089 दिनांक 30.08.2022 को पटवारी हल्का मान्दरी की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई जिसके अनुसार ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अवगत करवाया गया कि प्रार्थी को मातादीन उर्फ मातुराम एवं इनके पिता को भानुराम उर्फ प्रभाताराम के नाम से जाना जाता था परन्तु जाति गुर्जर के स्थान पर मेघवाल होना बताया गया। अतः प्रार्थी का नाम एवं जाति मातुराम पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मातादीन पुत्र भानाराम जाति मेघवाल किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस प्रार्थना पत्र विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नंबर 336 रकबा 0.44 है. खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत् खसरा नंबर 75/1 रकबा 4 बीघा से निर्मित हुआ है। गत् खसरा नंबर 75/1 रकवा 4 बीघा की खातेदारी प्रार्थी के पिता मातुराम पुत्र भानाराम कौम चमार हाल मेघवाल निवासी रोजड़ा के नाम आवंटन पश्चात् नामांतरकरण सं. 191 से आयी है। परन्तु ग्राम रोजड़ा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 134 में मातुराम पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर सा.देह खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज हो गया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी के स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी की अनुशंषा के आधार पर, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **रोजड़ा** की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 134 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि **"मातुराम पुत्र प्रभाताराम जाति गुर्जर"** के स्थान पर **"मातादीन पुत्र भानाराम जाति मेघवाल"** दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:19 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner